

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर  
क्रमांक : एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी./सान्ध्यावि/2012/३६५५६ जयपुर, दिनांक २१-६-१९

### परिपत्र

राज्य सरकार के राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 2/2019) एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों की अनुपालना में राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को अर्थात् पांच जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी 5. गडरिया (गाडरी), गायरी को शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण दिया जाना है।

इस हेतु उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में नियमानुसार अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त पांच जातियों के अभ्यर्थियों को कतिपय विभागों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राज्य के विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिये जाने में संशय की स्थिति है। इस क्रम में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 जारी किया गया था (प्रति संलग्न)।

इस संबंध में पुनः यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिये आवेदन किया गया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

(अखिल अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी./सान्याअवि/2012/ ३६५४७- जयपुर, दिनांक : २१-८-१५  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, .....
14. समस्त जिला कलक्टर, .....
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, .....
16. सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड
17. ए.सी.पी., मुख्यावास, सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबंधित को ई-मेल करने बाबत।
18. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
19. समस्त उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
20. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
21. गार्ड फार्म।

*४६*  
(सांवर मल्लभानी)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

## राजस्थान सरकार

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, राजस्थान रेजीडेंसी इंस्टी, राजस्थान लाइन, जयपुर।

क्रमांक : एफ 11(125)एगवीसी / आरएण्डपी / सान्याअवि / 2012 /

156 ३३

मापदंड दिनांक २२/२/१८

## संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48) / विधि / २ / 2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजरथान पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संरथाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1. बंजारा, वालदिया, लवाना 2. गाड़िया लोहार, गाड़ोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी देबासी 5. गडरिया (गडरी), गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ ७ (1)डीओपी / ए-२/2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.७ (1)कार्मिक/क-२/2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संरथाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी.) महान्ति

अतिरिक्त मुख्य सचिव

21/२

क्रमांक : एफ 11(125)एगवीसी / आरएण्डपी / सान्याअवि / 2012 / 156 ३४-७९० जयपुर दिनांक 22/२/१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्थ मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) समस्त अतिरिक्त / प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज
- 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज
- 12) समस्त सभागीय आयुक्त
- 13) समस्त जिला कलक्टर
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिकारी
- 15) सचिव समस्त आयोग / बोर्ड
- 16) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबंधित को ई-मेल करने वाले
- 17) समस्त प्रमारी अधिकारी मुख्यावास / उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- 18) गार्ड फाईल।

(डॉ समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन रायित